संख्या-115/2023/।/392093/2023/001-71-2099-2896-2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ में एडवान्स डायबिटिक रेटिनोपैथी सेन्टर की स्थापना के अन्तर्गत उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-5886/योजना अनु0/2023, दिनांक 28.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ में 'एडवान्स डायबिटिक रेटिनोपैथी सेन्टर' की स्थापना के अन्तर्गत उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ में एडवान्स डायबिटिक रेटिनोपैथी सेन्टर की स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2023 में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपया दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) उपकरणों की मानकीकृत तकनीकी विशिष्टियों/स्पेशिफिकेशन को संस्थान में सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए नियमानुसार निर्धारित मानकों एवं सुसंगत शासनादेशों के अनुसार उपकरणों के क्रय किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
2) क्रय KGMU परिनियमावली एवं GFR के उपबंधों के अनुरूप हो | उपकरण के तकनीकी विशिष्टियां संस्थान को स्व स्तर पर अनुमोदित करने का अधिकार भी प्रतिनिधानित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के प्रचलित शासनादेशों के द्वारा जिन उपकरणों के संबंध में मानकीकरण करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में उक्तानुसार निर्धारित तकनीकी विशिष्टिताओं एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
5) विश्वविद्यालय द्वारा उपकरण/संयंत्र मद में उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।
6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जाए।
7) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
8) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक, विशिष्टियों एवं क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन कुलपति/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/ उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरणों का क्रय किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी कुलपति/ कुलसचिव/वित्त अधिकारी की होगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं होगी।
13) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-88-डायबिटिक रेटिनोपैथी सेन्टर-01-के0जी0एम0यू0, लखनऊ, मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-115/2023/।/392093/2023/001-71-2099-2896-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।